

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन
पीठासीन अधिकारी-श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या- 37/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/62

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
तहसीलदार डीडवाना-कुचामन।	नावां जिला	1. मुकेश पुत्र माला राम जाति मीणा निवासी भूणी तहसील नावां 2. शिशपाल पुत्र माला राम जाति मीणा निवासी भूणी तहसील नावां 3. ताराचन्द पुत्र माला राम जाति मीणा निवासी भूणी तहसील नावां 4. बनवारी पुत्र माला राम जाति मीणा निवासी भूणी तहसील नावां 5. भागोती देवी पुत्री माला राम जाति मीणा निवासी भूणी तहसील नावां 6. लाली देवी पुत्री माला राम जाति मीणा निवासी भूणी तहसील नावां 7. माया देवी पुत्री माला राम जाति मीणा निवासी भूणी तहसील नावां 8. अनिता देवी पुत्री माला राम जाति मीणा निवासी भूणी तहसील नावां

दावा अन्तर्गत भु-राजस्व अधिनियम के तहत बने नियम 14(4) कृषि
प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थित:-

1. श्री रामरतन रेगर नायब तहसीलदार, नावां

—:आदेश:-

दिनांक : 20.08.2024

प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि :-

1. मौजा ग्राम भूणी के साबिक खसरा नम्बर 862 रकबा 0.10 हैक्टर बारानी तृतीय भूमि अप्रार्थी माला राम जाति मीणा निवासी भूणी को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि उपखण्ड अधिकारी नावां के आदेश क्रमांक/राजस्व/02/14-18 दिनांक 10.06.2002 के द्वारा आवंटन की जाकर अप्रार्थी माला राम पुत्र मंगला राम जाति मीणा निवासी भूणी को राजस्व रिकार्ड में गैर-खातेदार दर्ज किया गया था। खसरा नम्बर 862 रकबा 0.10 हैक्टर में माला राम पुत्र मंगला राम जाति मीणा निवासी भूणी को ना.स. 281 दिनांक 03.09.2003 के द्वारा गैर खातेदार



जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन

दर्ज किया गया था। माला राम पुत्र मंगला राम जाति मीणा निवासी भूणी आज दिन तक गैर खातेदार चला आ रहा है। गैरखातेदार माला राम पुत्र मंगला राम जाति मीणा निवासी भूणी की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया गया है।

2. अप्रार्थी को उक्त भूमि आदेश दिनांक 10.06.2002 से आवंटित हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अनुसार अप्रार्थी द्वारा प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू-भाग को व द्वितीय वर्ष शेष 50 प्रतिशत भू-भाग को जोतना आवश्यक था और अप्रार्थी ने उक्त नियम 14(3) की शर्त की पालना नहीं की है, जो खसरा गिरदवारी संवत् 2062 से 2077 तक की नकलों से सुस्पष्ट है।
3. अप्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है तथा मौके पर भूमि पड़त है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है।
4. अप्रार्थी का विवरण जो इस प्रार्थना-पत्र में दिया गया है वह सभी जीवित एवं व्यस्क है एवं पता जो अंकित किया गया है उसी पर अप्रार्थी निवास कर रहे है। उक्त सम्बन्ध में पटवारी हल्का का प्रमाण पत्र संलग्न है।
5. अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) की पालना नहीं की है।

अतः खतौनी नकल, नामान्तरकरण, आवंटन आदेश सम्पूर्ण गिरदावरी की प्रमाणित नकले व उपर्युक्तानुसार पटवारी की मौका रिपोर्ट व पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न कर निवेदन है कि अप्रार्थी को किये गये आवंटन दिनांक 10.06.2002 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी नायब तहसीलदार नावां की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड के अनुसार ग्राम भूणी के खसरा सं० 862 रकबा 0.10 हैक्टर मालाराम पुत्र मंगलाराम जाति मीणा को राज० कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 15(2) के तहत कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 10.06.2002 को आवंटन की गई। उक्त आवंटन के पश्चात जमाबन्दी ग्राम भूणी में आवंटी मालाराम पुत्र मंगलाराम का नाम गैर खातेदार की हैसियत से अंकित किया गया। जो आदिनांक तक चला आ रहा है।

तहसीलदार नावां की रिपोर्ट अनुसार श्री मालाराम पुत्र मंगलाराम की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके वारिसान को प्रकरण में अप्रार्थी सं० 01 से 08 के रूप में पक्षकार बनाया है। अप्रार्थी सं० 01 से 08 की तरफ से अधिवक्ता श्री शिवभगवान द्वारा अभिभाषक पत्र भी प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीगण/उनके अधिवक्ता को उक्त प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने के लिए लगभग 10 अवसर दिये गये परन्तु उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थी का जवाब का अवसर बन्द किया गया। तत्पश्चात बहस के दौरान



जिला कलेक्टर
झांसी-कुषामन

बावजुद सूचना अधिवक्ता अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।


आंवटी श्री मालाराम को जारी आंवटन आदेश की शर्त संख्या 6(3) के अनुसार आंवटिती आंवटन के वर्ष में भूमि का कम से कम 50 प्रतिशत काशत करेगा और शेष द्वितीय वर्ष में काशत करेगा। इसी आंवटन आदेश के शर्त सं० 05 के अनुसार आंवटी द्वारा आंवटन नियमों के उल्लंघन करने पर भूमि को बिना किसी मुआवजे राज्य सरकार के दायित्वधीन किये जाने की शर्त अंकित है।

पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2062-2077 तक में भूमि में किसी प्रकार की काशत का अंकन नहीं है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार आंवटित भूमि पर न तो मालाराम का कभी कब्जा था न ही उनके वारिसान का इस पर कब्जा रहा। अप्रार्थीगणों ने भी उक्त तथ्य के प्रतिकार में मालाराम अथवा उनका प्रश्नगत भूमि पर कब्जा होने अथवा उनके द्वारा काशत किये जाने का कोई दस्तावजी साक्ष्य/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

उपयुक्त विवेचन अनुसार आंवटी श्री मालाराम एवं तत्पश्चात उनके वारिसान द्वारा ग्राम भूणी के खसरा सं० 862 रकबा 0.10 हैक्टर जो कि दिनांक 10.06.2002 को आंवटित की गई थी के बाबत राज० कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के आंवटन शर्तों की पालना नहीं की गई। अतः प्रार्थी तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नावां द्वारा श्री मालाराम पुत्र मंगलाराम जाति मीणा को खसरा सं० 862 ग्राम भूणी रकबा 0.10 हैक्टर की कृषि भूमि आंवटन दिनांक 10.06.2002 को खारीज किया जाता है तथा उक्त भूमि को तत्काल राजकीय सिवाय चक दर्ज कर राजहक में कब्जा लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 20.8.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।




(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
झंझाना-कुचामन
झंझाना-कुचामन